महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

विद्या–परिषद् की 19 वीं बैठक

29 जुलाई, 2013

सुबह 11.00 बजे

सभा–कक्ष

भाषा–विद्यापीठ

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2013 को सुबह 11.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए:–

1	श्री विभूति नारायण राय	अध्यक्ष / कुलपति
2	प्रो. ए. अरविंदाक्षण	सदस्य / प्रतिकुलपति
3	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल	सदस्य
4	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य
5	प्रो. देवराज	सदस्य
6	प्रो. अनिल कुमार राय	सदस्य
7	प्रो. सुरेश शर्मा	सदस्य
8	प्रो. मनोज कुमार	सदस्य
9	प्रो. शंभू गुप्त	सदस्य
10	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	सदस्य
11	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	सदस्य
12	डॉ. फरहद मलिक	सदस्य
13	डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	सदस्य
14	प्रो. विजय कुमार कौल	सदस्य
15	डॉ. जयप्रकाश राय	सदस्य
16	श्री जगदीप सिंह डांगी	सदस्य
17	डॉ. अन्नपूर्णा सी	सदस्य
18	डॉ. कृपाशंकर चौबे	सदस्य
19	डॉ. मनोज कुमार राय	सदस्य
20	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	सदस्य
21	सुश्री सुप्रिया पाठक	सदस्य
22	डॉ. रवि कुमार	सदस्य
23	प्रो. दिविक रमेश	बाह्य सदस्य
24	प्रो. रंजना अरगड़े	बाह्य सदस्य
25	श्री राजकुमार	सदस्य
26	सुश्री शेल्लिना तोइजम	सदस्य
27	डॉ. कैलाश खामरे	पदेन सचिव / कुलसचिव

सबसे पहले डॉ. कैलाश खामरे, कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय कुलपति से कार्यवाही प्रारंभ करने की इजाजत मांगी। सम्माननीय सदस्य प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल ने यह प्रस्ताव रखा कि सभा की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व माननीय कुलपति श्री विभूति नारायण राय की माताजी स्वर्गीय सरस्वती राय के निधन पर सभी सदस्य 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे। विद्या–परिषद् के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रख स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती राय के निधन पर शोक व्यक्त किया।

सभा के प्रारंभ में ही प्रो. एल. कारुण्यकरा ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक एफ नं. वी 11014 / 11 / 04–सीडीएन दिनांक 19 जुलाई 2004 का हवाला देकर कहा कि विद्या–परिषद् की यह बैठक नहीं हो सकती। उनसे उक्त पत्र की कॉपी प्रस्तुत करने के लिए कहा तो उन्होंने [illegible] किया कि उक्त पत्र की प्रति उनके पास उपलब्ध नहीं है। विद्या–परिषद् के 27 उपस्थित [illegible] 26 ने प्रो. कारुण्यकरा के [illegible] विरोध किया और कार्यवाही जारी रखने [illegible]

कारूण्यकरा ने उक्त प्रस्ताव के निरस्त होने पर विद्या–परिषद् से बाहर जाने की अनुमति मांगी और अध्यक्ष ने उन्हें यह अनुमति दे दी।

कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अंतर्गत सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :–

विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक 09 अगस्त 2012 को भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– अनुमोदित

02. विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई।

विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 09 अगस्त 2012 में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्रवाई माननीय विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मद सं.	विवरण	की गयी कार्रवाई
03	विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट. की उपाधि दिये जाने संबंधी अध्यादेश का प्रारूप विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। निर्णय :– **अनुमोदित**	अनुपालित
05	प्रतिकुलपति महोदय ने कई सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जाना है:– 1. एम. फिल. संबंधी अध्यादेश बनाकर विद्या–परिषद् में पारित किया जाये। (अध्यादेश का प्रारूप संलग्न) 2. पी–एच. डी. अध्यादेश संख्या 8.2 संशोधित किया जाये। (संशोधन का प्रारूप संलग्न) 3. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 04 नये पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव तथा ई–लर्निंग का प्रस्ताव। 4. सामूहिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) संचालित करने का प्रस्ताव। **निर्णय : उक्त सुझावों पर सभी सदस्य अपनी राय प्रस्तुत करें।**	पत्रांक : 005/2004/वि.प./17/12/474 दिनांक 03–09–2012 जारी किया गया। बिंदु 2.2 पर प्राप्त सुझावों की प्रति संलग्न।
09	मराठी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन दिया कि वे अपरिहार्य कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ सके अतः उनकी जमा की गयी राशि को अगले सत्र के लिए स्वीकृत कर अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 5.1 (I) के अनुसार ऐसे प्रकरण को विद्या–परिषद् के समक्ष रखने का प्रावधान है अतः प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत। निर्णय : शुल्क जमा करने की अनिवार्यता के साथ अनुमोदित।	अनुपालित
	[illegible] चित्रा माली ने पी–एच. डी. का [illegible] जमा कर दिया है तथा 28 फरवरी 2012 को	

	सफलतापूर्वक मौखिकी संपन्न हो गयी। विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 30 अप्रैल 2012 के कार्यवृत्त की मद संख्या 01 पर लिये गये निर्णय के अनुसरण में सुश्री चित्रा माली को पी–एच. डी. की उपाधि प्रदान किये जाने को अनुमोदनार्थ विद्या–परिषद् के समक्ष रखा जा रहा है। **निर्णय : अनुमोदित।**	
11	विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक के मद संख्या 06 पर लिये गये निर्णय के अनुसरण सभी विद्यापीठों में इस विषय पर राय मांगी गयी। जिसके प्रत्युत्तर में निदेशक, प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र, विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग तथा कार्यकारी निदेशक, बौद्ध अध्ययन केंद्र से ही सिफारिशें प्राप्त हुई। प्रकरण को विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा जा रहा है। **निर्णय : उक्त उल्लेखित विभागों को छोड़कर अन्य विभाग/केंद्र अपनी राय प्रस्तुत करें।**	प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ संलग्न
12	विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी कई विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का आवेदन दिया था। समस्त आवेदनों को कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों के अकादमिक भविष्य को ध्यान में रखकर कुलपति महोदय ने रिक्त सीटों वाले पाठ्यक्रमों में 100 रूपये विलंब शुल्क लेकर प्रवेश देने का निर्देश दिया। उक्त प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **निर्णय : अनुमोदित।**	अनुपालित
13	विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पत्रांक स्था/830/2012/म.ग.अ.हि.वि. दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसरण में पी–एच. डी. अध्यादेश में शैक्षणिक कर्मियों को लिखित परीक्षा में छूट देने के प्रावधान को शामिल किया जाना है। विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अभिमत प्राप्त किया जाये।**	पत्रांक : 005/2004/वि.प./12/470 दिनांक 03–09–2012 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेजा गया। अनुस्मारक 24–07–2013 को भेजा गया।
14	अकादमिक सत्र 2012–13 के लिए प्रवेश आवेदनों की छँटनी के लिए गठित समिति ने कई सुझाव दिये। 1) संबंधित विषय में एम. फिल. उत्तीर्ण आवेदक को पी–एच. डी. की लिखित परीक्षा में छूट दिया जाये। 2) नेट/सेट/जेआरएफ उत्तीर्ण आवेदकों को एम.फिल. में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा से छूट दी जाये। **निर्णय :** नेट/जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एम.	अनुपालित